

संख्या: 403/X-4-15/1(210)/2015

प्रेषक,

पेशके0पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 30 मई, 2015

विषय: जनपद-अल्मोड़ा में चेलछीना से प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.365, हे0 आरक्षित सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3287/1-जी-FP/UK/ROAD/10384/2015 दिनांक 18 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-अल्मोड़ा में चेलछीना से प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.365, हे0 आरक्षित सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09/98- एफ0सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014, शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09/98 एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-652/F/XVIII-(2)/2013&15(34)/2013 दिनांक 25 जुलाई, 2013 एवं कार्यवृत्त दिनांक 10.04.2015 में निहित प्राक्कानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलेखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.730 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छ: माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नगान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त गड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-586 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की यथोचित धनराशि संबंधित खाते में जमा की जाए।

B

6. भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2008 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस0वी0-25229 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2008 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक 11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज -1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपसंहार ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आश्वासन (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध करायें जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
8. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
11. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय

(पी०के०शर्मा)

अपर सचिव।

संख्या: 403 (1) / X-4-15/1(210)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केंद्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0 ओर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृक्ष, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियंता, प्रा०स्व०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनानुदेश को एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

अज्ञा से,

(श्याम सिंह)

उप सचिव।